कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक/1602/ संबंद्धता/2018 भोपाल, दिनॉंक 30/06/2018

प्रति

आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– विभागीय मान्यता/अनुमति प्राप्त संस्थाओ के पोर्टल पर प्रविष्टी करने एवं सम्वद्धता शुल्क जमा करने की तिथि के संबंध में।

——//——

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक–एफ 37–2/2015/20–3 भोपाल दिनांक 31.03.2017 द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (कमाक 23 सन 1965) की धारा 27 के अन्तर्गत पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतदद्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की विभागीय मान्यता/अनुमति एवं मान्यता वृद्धि हेतु स्कूल शिक्षा विभाग मत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 प्रसारित कर सत्र 2018–19 से अशासकीय हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को विभागीय मान्यता/अनुमति एवं उनके नवीनीकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया है।

मण्डल के पत्र क्रमांक 81/मान्यता समन्वय/2014 दिनांक 18.06.2014 की कंडिका 2.1 के अनुसार विभागीय मान्यता/अनुमति प्राप्त वर्ष 2014–15, 2015–16 2016–17 2017–18 नवीनीकरण सम्वद्धता शुल्क एवं वर्ष 2018–19 की नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण/अतिरिक्त संकाय संस्थाओ की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टी एवं ऑनलाइन सम्वद्धता शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 01.07.2018 से 31.07.2018 तक नियत की जाती है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक/1603 / संबंद्धता /2018 भोपाल दिनाँक 30/06/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव अपर सचिव म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अतिरिक्त सचिव/अपर संचालक वित्त/परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आंचलिक/संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त प्राचार्य शासकीय,/अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मध्यप्रदेश।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल